<u>कार्यालय : सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया</u>
(मगध प्रमंडल कार्यालय परिसर, गया)

ज्ञापांक – 432 गया, दिनांक – 12·09·18

प्रेषित,

प्रो0 पंकज कुमार,
मेसर्स अनुराग मेडिकल हॉल,
खिजरसराय, गया

विषयः– **आपके प्रतिष्ठान में व्याप्त अनियमितताओं के आलोक में अनुज्ञप्तियों के निलंबन के संबंध में।**
संदर्भः– औषधि निरीक्षक, नीमचकबथानी अनुमंडल, गया का पत्रांक 26, दिनांक 21.06.18 एवं इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापांक 333, दिनांक 06.08.2018, एवं आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयक, दिनांक 21.06.18 को औषधि निरीक्षक, नीमचकबथानी अनुमंडल, गया के द्वारा आपके प्रतिष्ठान के निरीक्षण के क्रम में पाई गई अनियमितता के आलोक में इस कार्यालय का स्पष्टीकरण ज्ञापांक 333, दिनांक 06.08.2018 के द्वारा आपको स्पष्टीकरण एवं वांछित अभिलेख समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में आपके द्वारा स्पष्टीकरण एवं कतिपय अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित किया गया, जो सम्यक समीक्षोपरांत निम्न बिंदु पर त्रुटिपूर्ण एवं असंतोषप्रद पाया गया :–

1. निरीक्षण के समय आपके प्रतिष्ठान के सुयोग्य व्यक्ति श्री विजय कुमार, निबंधन सं0 19986/2002 अनुपस्थित पाये गये। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में आपके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि सुयोग्य व्यक्ति के घर से अचानक फोन आने के कारण घर चले गये थे। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक 333, दिनांक 06.08.2018 में स्पष्ट रुप से निदेश दिया गया था कि सुयोग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ सुयोग्य व्यक्ति को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करें। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में आपके द्वारा स्पष्टीकरण तो दिया गया है किन्तु उन्हे अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सुयोग्य व्यक्ति की अनुपस्थिति के संबंध में आपका उपरोक्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

अतएव, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 66(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति संख्या GR-43/2009 प्रपत्र 20 एवं GR-43A/2009 प्रपत्र 21 निर्गत तिथि 31.07.2009 को **<u>पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के लिए निलंबित किया जाता है।</u>** निलंबन अवधि में औषधियों का क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण किया जाना अवैध है एवं निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान खुला पाये जाने अथवा क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण करते पाए जाने पर संस्थान की अनुज्ञप्तियों को रद्द करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। **निदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान में कार्यरत सुयोग्य व्यक्ति को अपने सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं सभी वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय में सदेह प्रस्तुत करें।**

12·09·18

सहायक औषधि नियंत्रक
औषधि नियंत्रण प्रशासन, गया